भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1135
दिनांक 08 फरवरी, 2024

एचएसडी की डोर-टू-डोर बिक्री

1135. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
श्री मानगनी भरत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खुदरा बिक्री के अलावा मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से घर-घर वितरण के माध्यम से एचएसडी की बिक्री करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8 नवम्बर, 2019 के संकल्प संख्या 12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी के अनुसार ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत निजी तेल विपणन कंपनियों के लिए ऐसी अनुमति उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निजी प्राधिकृत कंपनियां मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से या स्टार्टअप कंपनी की नियुक्ति करके मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से सीधे एचएसडी की डोर-टू-डोर बिक्री कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): दिनांक 10.12.2019 और 03.02.2020 के मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल संशोधन (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश में किसी तेल कंपनी द्वारा उपयुक्तत: प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति (इसमें कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे निगमित हो या नहीं) को ऐसी तेल कंपनी के आपूर्ति स्थल से एक्स-आपूर्ति स्थल के आधार पर अथवा किसी तेल कंपनी के किसी खुदरा बिक्री केंद्र से, जिसमें मोबाइल कंटेनर या टैंक-ट्रक में मोबाइल डिस्पेंसर लोड करने की सुविधा हो, डिस्पेंसर को उचित रूप से प्रमाणित किया गया हो, केवल घर-घर डिलीवरी के माध्यम से उसी की पुन: बिक्री करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) खरीदने की अनुमति दी गई है। आदेश में यह भी अधिदेशित है कि उक्त मोबाइल कंटेनर अथवा डिस्पेंसर के साथ टैंक-ट्रक के प्रचालन हेतु इस आदेश अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी अन्य आदेश अथवा विनियमन के तहत यथा-अपेक्षित सभी अनुमोदन अथवा लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी तेल कंपनी द्वारा उपयुक्तत: प्राधिकृत व्यक्ति की होगी।

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार रीफ्यूलर (मोबाइल डिस्पेंसर) का इस्तेमाल केवल हैवी व्हीकल/मशीनरी/स्टेशनरी उपस्करों की ऑनसाइट रीफ्यूलिंग के लिए ही किया जाएगा।

*****